

राजस्थान सरकार
पुरासांस्कृतिक सुधार {अनु-3} विभाग

क्रमांक प. 68/188/पु.सु./अनु-3/99

जयपुर, दिनांक: 22.2.2005

:: आज्ञा ::
=====


राज्य सरकार द्वारा पुस्तकालय विचारधीन अनुशासनिक कार्यवाही के कारण निर्लम्बित किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के निलम्बन के मामलों का पुनरावलोकन करने हेतु सम्बन्धित आज्ञा दिनांक 19.4.99 के अतिरिक्त में महामहिम राज्यपाल महोदया की आज्ञा से निम्न सदस्यों की राज्य स्तरीय समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है :-

- | | |
|--|------------|
| 1. मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| 2. सम्बन्धित पुरासांस्कृतिक विभाग के शासन सचिव | सदस्य |
| 3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग | सदस्य सचिव |

समिति अधिकारियों के निलम्बन को जारी रखने या बहाल करने सम्बन्धी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।


उक्त समिति का पुरासांस्कृतिक विभाग कार्मिक {क-3/जाच} विभाग होगा।

आज्ञा से,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को पुरासांस्कृतिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, कशासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. अनुशासन सचिव, कार्मिक {क-3/जाच} विभाग की आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां समस्त सम्बन्धित को वितरण हेतु प्रेषित है।
10. रॉकट पत्रावली।


शासन उप सचिव

नरेन